[2018] 13 एस.सी.आर. 1108

रीना हजारिका

बनाम

असम राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1330)

अक्टूबर 31,2018

[आर। एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे.जे.]

साक्ष्य: परिस्थितिजन्य साक्ष्य - परिस्थितियों की श्रृंखला में कड़ियाँ - निर्धारण - अभियोजन का मामला कि पत्नी ने अपने पति को अंतिम बार देखे गए सिद्धांत और पत्नी के अप्राकृतिक आचरण के आधार पर मार डाला - नीचे की अदालतों द्वारा आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि - अपील पर, आयोजित: उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति और उस पर विचार करने के तरीके को देखते हुए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला में लिंक यह साबित करने के लिए स्थापित नहीं हैं कि अपीलकर्ता मृतक का हमलावर था - संभावना है कि घटना हो सकती है किसी अन्य तरीके से घटित हुआ है, इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है - इसके अलावा, न तो ट्रायल कोर्ट और न ही उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा धारा 313 के तहत बचाव का नोटिस लेना आवश्यक समझा - इस पर पूर्ण गैर-विचारण ने स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह पैदा किया है अपीलकर्ता - इस प्रकार, अपीलकर्ता संदेह के लाभ पर बरी होने का हकदार है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य - अनिवार्यताएं - समझाई गईं।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 313 - अभियुक्त से पूछताछ करने की शक्ति - दायरा और महत्व - समझाया गया।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1. संपूर्ण चर्चा, मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ, उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति और उस पर विचार करने का तरीका, न्यायालय को संतुष्ट करता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला में कड़ियां जुड़ी हुई हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचा दिया गया है कि अपीलकर्ता मृतक का हमलावर था, जो अपीलकर्ता की निर्दोषता की किसी भी

संभावना के साथ असंगत है। इस संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता कि घटना किसी अन्य तरीके से हुई हो। इसलिए अपीलकर्ता को संदेह के लाभ पर बरी करने का हकदार माना जाता है। [पैरा 18]

2.1 आम तौर पर यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत तथ्यों और सबूतों की पुनः सराहना करके दो अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की अपील में अनिच्छुक होगा। लेकिन किसी उपयुक्त मामले में, यदि यह न्यायालय पाता है कि तथ्यों और साक्ष्यों पर गलत विचार और मूल्यांकन किया गया है, जिससे न्याय का गर्भपात हो रहा है, तो यह न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि अंततः न्याय की जीत हो। आपराधिक न्यायशास्त्र का सिद्धांत है कि कई आरोपी छूट सकते हैं, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। [पैरा 7]

> ***अनंत चिंतामन लागू बनाम बॉम्बे राज्य*** **[1960] 2 एससीआर 460 - संदर्भित।**

2.2 परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ियों में निरंतरता स्थापित करने की आवश्यकता होती है, ताकि आरोपी के हमलावर होने, किसी अन्य की संभावना के साथ असंगत या असंगत होने का एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष निकाला जा सके। अभियुक्त की बेगुनाही के साथ संगत परिकल्पना। किसी मामले में तथ्यों और सबूतों के बिना, केवल अंतिम बार देखे गए सिद्धांत का आह्वान, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत आरोपी पर जिम्मेदारी डालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं कर लेता। यदि परिस्थितियों की शृंखला की कड़ियाँ स्वयं पूरी नहीं हैं, और अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असमर्थ है, तो यह संभावना खुली रहती है कि घटना किसी अन्य तरीके से हुई होगी; जिम्मेदारी आरोपी पर नहीं जाएगी और संदेह का लाभ देना होगा। [पैरा 8]

2.3 पीडब्लू-1 ने बताया कि उसे मृतक ने लगभग रात 11:00 बजे बताया था। गिरने के कारण उसके सिर में चोट लग गई थी, और गवाह ने मृतक को कोई प्राथमिक उपचार नहीं दिया, हालांकि उसने अपने भाई पीडब्लू 2 के साथ, लगभग 12:00 बजे एम्बुलेंस को कॉल करने का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मृतक पर कोई अन्य चोट नहीं देखी। इसके विपरीत, सीडब्ल्यू 1 ने गवाही दी कि पीडब्लू 1 ने मृतक के घावों पर डेटॉल लगाया था। पीडब्लू-1 के बयान के विपरीत,

उसके भाई, पीडब्लू-2 ने गवाही दी कि उसे लगभग 2-3 बजे अपीलकर्ता ने जगाया जो रो रही थी और उसे बताया कि उसके पति को सिर में चोट लगी है। ऐसा कहा जाता है कि मृतक ने स्वयं गवाह को बताया था कि चोट गंभीर नहीं थी। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य में विरोधाभास को तीसरे भाई पीडब्लू-3 ने यह कहते हुए और भी बढ़ा दिया है कि पीडब्लू-2 ने उसे मृतक के घायल होने की सूचना रात 12.00 बजे दी थी। तीनों गवाहों ने बताया कि मृतक भारी कद काठी का था, जिसके कारण वे उसे इलाज के लिए मोटर साइकिल से अस्पताल ले जाने में असमर्थ थे। हालाँकि, पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मृतक औसत कद काठी का था। यदि मृतक को केवल गिरने से सिर में चोट लगी थी और अन्यथा वह गवाहों से बात करने के लिए फिट था, तो कोई कारण नहीं है कि उसे मोटरसाइकिल पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता था। जबकि पीडब्लू-3 का कहना है कि मृतक ने कपड़े पहने हुए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को केवल अंडरवियर में लाया गया था। मृतक के कपड़े कुएं के पास एक बोरे में मिले। लेकिन पीडब्लू-7 ने ब्लड ग्रुप की जांच एफएसएल से कराना जरूरी नहीं समझा, जो मामले के तथ्यों के हिसाब से एक बड़ी चूक है। [पैरा 10-11]

2.4 पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि कटे हुए घाव उस छोटे चाकू के कारण नहीं हो सकते हैं जिसे कथित तौर पर बरामद किया गया है। चाकू से कनपटी की हड्डी का टूटना असंभव था। पीडब्लू-6 ने बयान में इस बात से इनकार किया कि चोट गिरने के कारण हो सकती है। पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर में अल्कोहल नहीं पाया गया। गवाह ने यह भी कहा कि चोट नं. 4 का कारण यह हो सकता है कि मृतक ने खुद को हमले से बचाने का प्रयास किया हो। कई चोटें निश्चित रूप से एक व्यक्ति के कारण नहीं हो सकती हैं और यह अपने आप में एक पूरी तरह से अलग कहानी बताती है कि हमलावर एक से अधिक हो सकते हैं। काटने की चोटें दाओ जैसे मध्यम और भारी हथियार से संभव थीं। यदि मृतक औसत कद काठी का था, तो सामान्य विवेक और मानवीय व्यवहार और क्षमता के अनुसार, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अपीलकर्ता एक महिला होने के नाते, मृतक पर, जो कि उसका पति था, इतना गंभीर और बार-बार हमला कर सकती थी। छोटा चाकू, बिना किसी प्रतिरोध के और खुद को कोई चोट नहीं आई। पीडब्लू-2 ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि वह मृतक के साथ शराब पीता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक का पेट खाली पाया गया, जिससे पता चलता है कि हमला पीडब्लू के साक्ष्य के विपरीत शाम को हुआ था। 1, 2 और 3 से पता चलता है कि हमला देर रात में किया गया, जिस समय तक मृतक ने निस्संदेह अपना भोजन कर लिया होगा। [पैरा 12,15]

2.5 धारा 313, सी.आर.पी.सी. इसे केवल ऑडी अल्टरम पार्टम के एक भाग के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करता है और इसे वैधानिक अधिकार से परे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक अधिकार के रूप में माना जा सकता है, भले ही इसे ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जाए। सीआरपीसी की धारा 313(2) के तहत शपथ पर न होना। यदि अभियोजन साक्ष्य बंद होने के बाद आरोपी बचाव लेता है, तो धारा 313(1)(बी) सीआरपीसी के तहत। न्यायालय सीआरपीसी की धारा 313(4) के तहत कर्तव्य से बंधा हुआ है। उसी पर विचार करना. केवल 'हो सकता है' शब्द का उपयोग अदालत को ऐसे बचाव पर विचार करने या न करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह न्याय तक पहुंच के लिए आरोपी का एक मूल्यवान अधिकार है, और पूर्वाग्रह की संभावना है। इसके कारण हो सकता है. बचाव स्वीकार्य है या नहीं और यह उपलब्ध साक्ष्यों के अनुकूल है या असंगत, यह बिल्कुल अलग मामला है। यदि धारा के अंतर्गत लिए गए बचाव पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। 313 Cr.P.C., किसी मामले के दिए गए तथ्यों में, दोषसिद्धि अच्छी तरह से ख़राब हो सकती है। न्याय प्रदान करने में न्यायालय का यह गंभीर कर्तव्य बनता है कि वह धारा 313 के तहत आरोपी के बचाव पर पर्याप्त रूप से विचार करे और लिखित रूप में निर्दिष्ट कारणों से इसे स्वीकार या अस्वीकार करे। दुर्भाग्य से न तो ट्रायल कोर्ट और न ही हाई कोर्ट ने धारा 313 के तहत अपीलकर्ता द्वारा उक्त बचाव के संबंध में चर्चा करना या निरीक्षण करना तो दूर, इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना आवश्यक समझा। संपूर्ण तथ्यों और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों की प्रकृति के आधार पर किए गए बचाव को अप्रासंगिक, अतार्किक या काल्पनिक नहीं कहा जा सकता है। इस पर पूर्णत: विचार न करने से स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है। अभियोजन पक्ष के विपरीत, अभियुक्त को सभी उचित संदेह से परे बचाव स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त को केवल संभाव्यता की प्रबलता पर संदेह उठाना है। [पैरा 16,17]

हेट सिंह भगत सिंह बनाम मध्य भारत राज्य **एआईआर 1953 एससी 468**; एम. अब्बास बनाम केरल राज्य **(2001) 10 एससीसी 103 - संदर्भित**।

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[1960] 2 एससीआर 460	**पैरा 17 को संदर्भित करता है**
एआईआर 1953 एससी 468	**पैरा 17 का हवाला दिया गया**

(2001) 10 एससीसी 103 पैरा 17 को संदर्भित करता है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 13300f2018

सीआरएल में गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 09.02.2017 से। 2014 की अपील (आई) संख्या 130।

श्री सिंह, सुश्री सयाली कडू, सुश्री वर्षा पोद्दार, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए.

सुश्री दीक्षा राय, सुश्री पलक महाजन, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

नवीन सिन्हा, जे.

1,अनुमति स्वीकृत.

2.अपीलकर्ता धारा 302 एलपीसी के तहत दोषी ठहराए गए मृतक की पत्नी है। और 1,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और डिफ़ॉल्ट रूप से एक महीने के कारावास की सजा सुनाई गई।

3.मृतक अपीलकर्ता और उसकी नाबालिग बेटी सीडब्ल्यू-1, मिस पूजा हजारिका, उम्र लगभग 9 वर्ष, के साथ पीडब्लू-1 मनोज कुमार डेका, पीडब्लू-2 दीपेन डेका और पीडब्लू-3 भृगुमोनी डेका के किराए के परिसर में रहता था। , जो भाई हैं। कहा गया है कि अपीलकर्ता ने 10.05.2013/11.05.2013 की मध्यरात्रि में मृतक के साथ मारपीट की थी। पीडब्लू. कहा गया है कि 1, 2 और 3 में शोर सुना था और वहां जाने पर पाया कि मृतक के सिर पर चोट गिरने के कारण लगी थी, लेकिन मृतक अन्यथा ठीक था। बारिश और एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण वे उसे अस्पताल ले जाने में असमर्थ थे। पीडब्लू-6, डॉ. ऋतु राज चालिहा द्वारा प्रमाणित पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें थीं:-

(i) गाल के बायीं ओर 6 सेमी मीडियल ट्रैगस और मेम्बिबल के कोण से 1 सेमी ऊपर मौजूद 11 सेमी x 2 सेमी x मांसपेशियों की गहराई के आकार का कटा हुआ घाव।

(ii) पश्चकपाल क्षेत्र के पिछले हिस्से में 9 सेमी x 2 सेमी x मांसपेशी के आकार का गहरा घाव।

(iii) बांह के बायीं ओर मौजूद 4 सेमी x 2 सेमी xX मांसपेशी के आकार का गहरा घाव।

(iv) बायीं कलाई के जोड़ पर पीछे की तरफ (5x4) सेमी आकार का घाव।

(v) दाहिनी ओर टेम्पोरल क्षेत्र पर मौजूद (4 x 1) सेमी x मांसपेशी गहरा आकार का कटा हुआ घाव।

(vi) स्कैपुला के पीछे मौजूद मांसपेशियों का गहरा घाव (6 x 2) सेमी आकार का काटना।

(vii) दोनों तरफ की टेम्पोरल हड्डी का फ्रैक्चर।

सभी चोटें पोस्टमार्टम से पहले की थीं और मध्यम भारी तेज धार वाले हथियार से लगी थीं और प्रकृति में मानव वध की थीं।

4,ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने माना कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला था। अंतिम बार देखा गया सिद्धांत रात में मृतक के साथ अपीलकर्ता की उपस्थिति स्थापित करता है। उसका अप्राकृतिक आचरण क्योंकि वह रो नहीं रही थी, वह मृतक पर हमलावर थी।

5,अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि नीचे की अदालतों ने यह मानने में गलती की है कि परिस्थितियों की श्रृंखला में लिंक स्थापित होने से अपीलकर्ता के हमलावर होने का एकमात्र अपरिहार्य निष्कर्ष निकला और निर्दोषता की कोई अन्य परिकल्पना संभव नहीं है। . पीडब्लू-6 ने बताया है कि चोटें दाओ जैसे मामूली भारी तेज काटने वाले हथियार के कारण हुई थीं, और अस्थायी हड्डी का फ्रैक्चर एक मध्यम भारी हथियार के कारण हो सकता है। घटना स्थल से बरामदगी, जैसा कि पीडब्लू-7 एस.आई. नीलोमणि मालाकार द्वारा सिद्ध किया गया है, सुपारी काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक साधारण चाकू की है, जो एक मुड़े हुए नुकीले सिरे वाला एक फीट लंबा है। इससे चोट लगना संभव नहीं था। कथित

चाकू को पीडब्लू-6 को राय जानने के लिए भी नहीं दिखाया गया था कि क्या चोटें उसी के कारण हो सकती थीं।

6.राज्य की विद्वान वकील मिस दीक्षा राय ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को आखिरी बार मृतक के साथ कमरे में देखा गया था, जिसकी पुष्टि सीडब्ल्यू-1 ने की थी। अपीलकर्ता उन परिस्थितियों का कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है कि रात में मौत कैसे हुई। उसके रोने तक का अप्राकृतिक आचरण भी पीडब्लू-7 द्वारा देखा गया था। हमले में प्रयुक्त चाकू और मृतक के खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिये गये हैं.

7.हमने संबंधित प्रस्तुतियों, निचली अदालतों के आदेशों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर भी विचार किया है। आम तौर पर यह अदालत संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत तथ्यों और सबूतों की दोबारा सराहना करके दो अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की अपील में अनिच्छुक होगी। लेकिन किसी उपयुक्त मामले में, यदि इस अदालत को पता चलता है कि तथ्यों और सबूतों पर गलत तरीके से विचार और मूल्यांकन किया गया है, जिससे न्याय का गर्भपात हो रहा है, तो यह अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि अंततः न्याय की जीत हो। आपराधिक न्यायशास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कई आरोपी छूट सकते हैं, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अ**नंत चिंतामन लागू बनाम बॉम्बे राज्य**, (1960) 2 एससीआर 460 में इस अदालत ने इस प्रकार कहा: -

> “16. आमतौर पर, उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों की दोबारा जांच करना इस न्यायालय की प्रथा नहीं है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां नीचे के दो न्यायालयों के बीच राय की सहमति हो। लेकिन अपीलकर्ता के खिलाफ मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, और इसका कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि उसने जहर दिया था, और वास्तव में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर या रसायन द्वारा किसी भी जहर का पता नहीं चला है। विश्लेषक. नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा सहायक निष्कर्ष दिए गए साक्ष्यों के एक समूह की जांच पर अपराध का निष्कर्ष निकाला गया है, हमने इस मामले की असाधारण प्रकृति को देखते हुए, खुद को संतुष्ट करने के लिए यह आवश्यक महसूस किया है कि क्या प्रत्येक निष्कर्ष पर मामले के अलग-अलग पहलू साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और न्यायसंगत एवं उचित हैं। आमतौर पर, इस न्यायालय को साक्ष्यों की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें संबोधित किए गए विभिन्न प्रकार के तर्कों

और अपीलकर्ता के पास मौजूद आचरण के सबूतों को देखते हुए, हम इस विशेष मामले में इस नियम से हट गए हैं। बेगुनाही का सुझाव देने वाली परिकल्पनाओं को दूर करने की कोशिश की गई। जैसा कि हमने संक्षेप में कहा है, इन तर्कों में मामले के तथ्यात्मक और चिकित्सीय दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है, और साक्ष्य की एक बार फिर से बारीकी से जांच करना आवश्यक हो गया है, ताकि हम यह कहने की स्थिति में हों कि तथ्य क्या हैं पाया, जिस पर हमारा निर्णय निर्भर है।"

8.परिस्थितिजन्य साक्ष्य की अनिवार्यता उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित है और हम इसे दोहराना और आदेश पर अनावश्यक रूप से बोझ डालना आवश्यक नहीं समझते हैं। यह देखना पर्याप्त है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ियों में निरंतरता स्थापित करने की आवश्यकता होती है, ताकि आरोपी के हमलावर होने, असंगत या असंगत होने का एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष निकाला जा सके। अभियुक्त की बेगुनाही के साथ संगत किसी अन्य परिकल्पना की संभावना। किसी मामले में तथ्यों और सबूतों के बिना, केवल अंतिम बार देखे गए सिद्धांत का आह्वान, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत आरोपी पर जिम्मेदारी डालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं कर लेता। यदि परिस्थितियों की शृंखला की कड़ियाँ स्वयं पूरी नहीं हैं, और अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असमर्थ है, जिससे यह संभावना खुली रहती है कि घटना किसी अन्य तरीके से हुई होगी, तो जिम्मेदारी आरोपी पर नहीं जाएगी, और संदेह का लाभ देना होगा.

9.चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, हम यह नोटिस करना उचित समझते हैं कि अपीलकर्ता को स्वाभाविक रूप से कुछ बाधाओं के कारण ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में अपनी पसंद के वकील का लाभ नहीं मिला। उसे कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की जानी थी। यह अपीलकर्ता को उपलब्ध कराए गए बचाव की प्रकृति पर कोई टिप्पणी या टिप्पणी करने के लिए नहीं है, बल्कि केवल अपनी बेगुनाही साबित करने में उसकी बाधा पर ध्यान देने के लिए है।

10.पीडब्लू-1 ने बताया कि उसे मृतक ने लगभग रात 11:00 बजे बताया था। 10.05.2013 को बताया गया कि गिरने के कारण उसके सिर में चोट लग गई थी, और गवाह ने मृतक को कोई प्राथमिक उपचार नहीं दिया, हालांकि उसने अपने भाई पीडब्लू-2 के साथ, लगभग 12:00 बजे एम्बुलेंस को कॉल करने का प्रयास किया था।

पूर्वाहन। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मृतक पर कोई अन्य चोट नहीं देखी। इसके विपरीत, सीडब्ल्यू-1 ने गवाही दी कि पीडब्लू-1 ने मृतक के घावों पर डेटॉल लगाया था।

11. पीडब्लू-1 के बयान के विपरीत, उसके भाई, पीडब्लू-2 ने बताया कि उसे लगभग 2-3 बजे अपीलकर्ता ने जगाया जो रो रही थी और उसे बताया कि उसके पति को सिर में चोट लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि मृतक ने स्वयं गवाह को बताया था कि चोट गंभीर नहीं थी। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य में विरोधाभास को तीसरे भाई पीडब्लू-3 ने यह कहते हुए और भी बढ़ा दिया है कि पीडब्लू-2 ने उसे मृतक के घायल होने की सूचना रात 12.00 बजे दी थी। तीनों गवाहों ने बताया कि मृतक भारी कद काठी का था, जिसके कारण वे उसे इलाज के लिए मोटरसाइकिल से अस्पताल ले जाने में असमर्थ थे। हालाँकि, पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मृतक औसत कद काठी का था। यदि मृतक को केवल गिरने के कारण सिर में चोट लगी थी और वह गवाहों से बात करने के लिए फिट था, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि उसे मोटरसाइकिल पर अस्पताल क्यों नहीं ले जाया जा सकता था। जबकि पीडब्लू-3 का कहना है कि मृतक ने कपड़े पहने हुए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को केवल अंडरवियर में लाया गया था। मृतक के कपड़े कुएं के पास एक बोरे में मिले। लेकिन पीडब्लू-7 ने ब्लड ग्रुप की एफएसएल से जांच कराना जरूरी नहीं समझा, जो हमारी राय में मामले के तथ्यों में एक बड़ी चूक है।

12. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि कथित रूप से बरामद किए गए छोटे चाकू से कटे हुए घाव नहीं हो सकते। चाकू से कनपटी की हड्डी का टूटना असंभव था। पीडब्लू-6 ने बयान में इस बात से इनकार किया कि चोट गिरने के कारण हो सकती है। पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर में अल्कोहल नहीं पाया गया। गवाह ने यह भी कहा कि चोट नं. 4 का कारण यह हो सकता है कि मृतक ने खुद को हमले से बचाने का प्रयास किया हो। कई चोटें निश्चित रूप से एक व्यक्ति के कारण नहीं हो सकती हैं और यह अपने आप में एक पूरी तरह से अलग कहानी बताती है कि हमलावर एक से अधिक हो सकते हैं। काटने की चोटें दाओ जैसे मध्यम और भारी हथियार से संभव थीं। हमारी राय में भी, यदि मृतक औसत कद काठी का था, तो सामान्य विवेक और मानवीय व्यवहार और क्षमता के अनुसार, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अपीलकर्ता एक महिला होने के नाते, मृतक पर इतना गंभीर और बार-बार हमला कर सकती थी, जो था उसके पति ने बिना किसी प्रतिरोध के एक छोटे चाकू से वार किया और खुद भी उसे कोई चोट नहीं आई।

13. पीडब्लू-7 ने दावा किया कि उसे डेटॉल की गंध वाला चाकू मिला है। भले ही खून के निशान मिटाने के लिए चाकू को पोंछा गया हो, लकड़ी के हैंडल को अगर एफएसएल में भेजा गया होता तो बहुत कुछ पता चल सकता था। गवाह ने फिर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। डेटॉल की कोई बोतल बरामद नहीं हुई है. इस बात का बिल्कुल भी सबूत नहीं है कि मृतक अक्सर नशे की हालत में अपीलकर्ता और नाबालिग बच्चे पर हमला करता था। तथ्य यह है कि पीडब्लू-7 ने अपीलकर्ता की आँखों में आँसू नहीं देखे, जिसे निचली अदालतों ने अप्राकृतिक आचरण माना, अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। अपीलकर्ता असहाय स्थिति में होने के कारण अपने पति की मृत्यु से अविश्वास के सदमे में डूब गई होगी। यह असामान्य मानवीय व्यवहार नहीं है कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु पर, या किसी जानलेवा हमले को देखकर, कोई व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया या संवेदनशीलता न दिखाते हुए पूरी तरह से मौन और स्तब्ध हो जाता है। हमें CW-1 के अल्पसंख्यक होने के कारण मुख्य रूप से उसके साक्ष्यों पर विश्वास करना और भरोसा करना भी मुश्किल लगता है। यदि रात में कमरे में अपीलकर्ता द्वारा मृतक पर हमला किया गया होता, तो निश्चित रूप से इससे शोर और चीख-पुकार मच जाती और गवाह संभवतः जागने के बिना सो नहीं पाता।

14. पीडब्लू-1 ने गवाही दी कि उसने अगली सुबह लगभग 8:00 बजे पुलिस को सूचित किया, लेकिन पीडब्लू-7 ने गवाही दी कि पीडब्लू-1 द्वारा पुलिस स्टेशन में लगभग 12:00 बजे सूचना दी गई थी। 11.05.2013 को और जनरल डायरी प्रविष्टि नं. दोपहर 12.20 बजे थाने में 452 दर्ज कर एफ.आई.आर. शाम 7.45 बजे दर्ज किया गया। ये संदेहास्पद परिस्थितियाँ हैं जिनमें इस बात पर विचार करने के बाद योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है कि किस तरह से आरोप लगाए जाने चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना वास्तव में जो हो सकती थी उसके अलावा किसी अन्य तरीके से हुई थी।

15. साक्ष्य की प्रकृति और उसकी सराहना के तरीके के संबंध में उपरोक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में, हम सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता द्वारा ली गई बचाव की पेपर बुक में अंग्रेजी अनुवाद को निर्धारित करना उचित समझते हैं। निम्नलिखित नुसार:-

> उत्तर: घटना दिनांक को लगभग 8-8:30 बजे जब मैं सतगांव में अपने काम से लौटी तो मैंने देखा कि मेरे पति कमरे में खून बह रहा था। मेरे चिल्लाने पर मनोज डेका और उसके भाई एक भाई के हाथ में शराब लेकर वहां आ गये.

इसके बाद मैंने देखा कि मनोज डेका मेरे पति के घाव पर डेटॉल लगा रहा था. मैंने 108 एम्बुलेंस को भी फोन किया। जब मैंने पुलिस को फोन करना चाहा तो मनोज डेका ने मुझसे फोन छीन लिया। मेरे चिल्लाने पर पड़ोसी लोग वहां आ गये. मैंने अपने पति को मेडिकल ले जाने की कोशिश की लेकिन मेरे मनोज डेका और अन्य लोगों के असहयोग के कारण मैं उन्हें मेडिकल ले जाने में असफल रही। उस रात करीब 9.30 बजे समय समाप्त हो गया और मनोज डेका व अन्य पड़ोसी बैठे हुए थे. इसके बाद मनोज डेका ने मुझे झूठा फंसाया है। मुझे संदेह है कि मेरे पति के साथ पहले भी किसी स्थान पर शराब पीने के दौरान मिंटू नाथ, दीपक दास एवं जीतू डेका ने मारपीट की थी और घायल अवस्था में पति द्वारा लाकर कमरे में लिटा दिया गया था. [जब टी यहां पहुंची तो मेरे कमरे का ताला भी टूटा हुआ देखा। मैंने अपने पति की हत्या नहीं की है. मैं निर्दोष हूं।"

पीडब्लू-2 ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि वह मृतक के साथ शराब पीता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक का पेट खाली पाया गया, जिससे पता चलता है कि हमला पीडब्लू के साक्ष्य के विपरीत शाम को हुआ था। 1, 2 और 3 से पता चलता है कि हमला देर रात में किया गया, जिस समय तक मृतक ने निस्संदेह अपना भोजन कर लिया होगा।

16. धारा 313, सी.आर.पी.सी. इसे केवल ऑडी अल्टरम पार्टम के एक भाग के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करता है और इसे वैधानिक अधिकार से परे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक अधिकार के रूप में माना जा सकता है, भले ही इसे ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जाए। सीआरपीसी की धारा 313(2) के तहत शपथ पर न होना। इस अधिकार के महत्व पर इस न्यायालय द्वारा बार-बार विचार किया गया है, लेकिन इसे अभी भी व्यवहार में लागू किया जाना बाकी है जैसा कि हम वर्तमान में आने वाली चर्चा में देखेंगे। यदि अभियोजन साक्ष्य बंद होने के बाद आरोपी बचाव लेता है, तो धारा 313(1)(बी) सीआरपीसी के तहत। न्यायालय सीआरपीसी की धारा 313(4) के तहत कर्तव्य से बंधा हुआ है। उसी पर विचार करना. केवल 'हो सकता है' शब्द का उपयोग अदालत को ऐसे बचाव पर विचार करने या न करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह न्याय तक पहुंच के लिए आरोपी का एक मूल्यवान अधिकार है, और पूर्वाग्रह की संभावना है। इसके कारण हो सकता है. बचाव स्वीकार्य है या नहीं और यह उपलब्ध साक्ष्यों के अनुकूल है या असंगत, यह बिल्कुल अलग मामला है।

यदि किसी मामले में दिए गए तथ्यों में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत किए गए बचाव पर कोई विचार नहीं किया गया है, तो दोषसिद्धि ख़राब हो सकती है। हमारे विचार से, न्याय प्रदान करते समय सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी के बचाव पर पर्याप्त रूप से विचार करना अदालत का एक गंभीर कर्तव्य है। और लिखित में निर्दिष्ट कारणों से इसे स्वीकार या अस्वीकार करना होगा।

17. दुर्भाग्य से न तो ट्रायल कोर्ट और न ही हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता द्वारा पूर्वोक्त बचाव के संबंध में चर्चा करना या निरीक्षण करना तो दूर, नोटिस लेना भी जरूरी नहीं समझा। या तो इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। जैसा कि यहां पहले चर्चा की गई है, संपूर्ण तथ्यों और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों की प्रकृति के आधार पर किए गए बचाव को अप्रासंगिक, अतार्किक या काल्पनिक नहीं कहा जा सकता है। इस पर पूर्णतः विचार न करने से स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अभियोजन पक्ष के विपरीत, अभियुक्त को सभी उचित संदेह से परे बचाव स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त को केवल संभाव्यता की प्रधानता पर संदेह उठाना है जैसा कि **हेट सिंह भगत सिंह बनाम मध्य भारत राज्य**, एआईआर 1953 एससी 468 में निम्नानुसार देखा गया है: -

> “26. हमने इस मामले में साक्ष्यों की विस्तार से जांच की है, इसलिए नहीं कि यहां अपील में साक्ष्य को मूल्यांकन के लिए अस्वीकार करने की हमारी सामान्य प्रथा से हटना हमारी इच्छा है, बल्कि इसलिए कि इस मामले में उस नियम से विचलन हुआ है जो जब एक आरोपी व्यक्ति केवल एक उचित बचाव करता है जो सच होने की संभावना है, तो दूसरे पक्ष पर बोझ और भी भारी हो जाता है क्योंकि एक उचित और संभावित कहानी एवी के खिलाफ एक सच्चा दोस्त खड़ा होने की संभावना है और मामला ढुलमुल होने से उचित संदेह पैदा होना तय है, जिसका लाभ आरोपी को मिलना ही चाहिए..."

इसी तरह का विचार **एम. अब्बास बनाम केरल राज्य**, (2001) 10 एससीसी 103 में इस प्रकार व्यक्त किया गया है:-

> “10..दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष के गवाहों की जिरह के दौरान और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने स्वयं के बयान में अपीलकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण काफी प्रशंसनीय है। जहां कोई अभियुक्त बचाव पेश करता है या स्पष्टीकरण पेश करता है, तो यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि उसे उचित संदेह से परे अपना बचाव साबित करने की

आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल संभावनाओं की प्रबलता से साबित करना है...।"

18. संपूर्ण चर्चा, मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ, उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति और उस पर विचार करने का तरीका, हमें संतुष्ट करता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला में कड़ियों को नहीं जोड़ा जा सकता है। कहा जाता है कि यह स्थापित किया गया है जिससे अपरिहार्य निष्कर्ष निकला कि अपीलकर्ता मृतक का हमलावर था, जो अपीलकर्ता की निर्दोषता की किसी भी संभावना के साथ असंगत है। इस संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता कि घटना किसी अन्य तरीके से हुई हो। इसलिए अपीलकर्ता को संदेह के लाभ पर बरी करने का हकदार माना जाता है। तदनुसार, हम अपीलकर्ता को तुरंत बरी करने और हिरासत से रिहा करने का आदेश देते हैं, जब तक कि किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

19. अपील स्वीकार की जाती है।

निधि जैन अपील की अनुमति.

आशीष तिवारी की देखरेख में शिखा पांडे द्वारा अनुवादित।